[19/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 776]

एकलव्य

शिक्षा विकास योजना

म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ

एकलव्य

शिक्षा विकास योजना

म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास),
सहकारी संघ, मध्यप्रदेश

परि/शि०६-०१

एकलव्य
शिक्षा विकास योजना

प्रदेश में लघु वनोपजों के विकास एवं उनके व्यापार में संग्राहकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वनोपज संघ को विभिन्न लघु वनोपजों के संरक्षण, विकास, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का दायित्व सौंपा गया है और इस दायित्व की पूर्ति हेतु प्रदेश के लगभग 33 लाख संग्राहक संघ से अपनी सामाजिक, आर्थिक उन्नति हेतु जुड़ गये हैं। वनोपज संघ ने इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निर्वहन में अपने तेन्दूपत्ता संग्राहक सदस्यों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा के सुधार की दिशा में अनेक प्रयास किये हैं जिनमें तेन्दूपत्ता संग्राहकों का जीवन बीमा कराया जाना भी सम्मिलित है।

वनोपज संघ की कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला में एक नई कड़ी के रूप में एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है जिससे तेन्दूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाएं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वनोपज संघ द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों के प्रबन्धकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाए ताकि वनवासी परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. इस योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियां के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि इन पांच वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम 3 वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
2. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पिछले शिक्षा सत्र में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो।
3. इस योजना मे कक्ष 9 से 12 तक एवं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रावीण्य सूची के आधार पर शामिल किया जायेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों के क्रय में होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थल तक आने हेतु निकटतम मार्ग से रेल में स्लीपर क्लास अथवा/एवं साधारण श्रेणी का बस किराये पर यात्रा व्यय मिलने की पात्रता होगी। छात्र-छात्राओं को मिलने वाली कुल सहायता की वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी :-
   1. **कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों को** : रु. 12,000/-
   2. **कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को** : रु. 15,000/-
   3. **गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को** : रु. 20,000/-
   4. **व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को** : रु. 50,000/-
5. यदि चयनित छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय/राज्य शासन अथवा किसी भी अन्य संस्थान आदि से किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति अथवा सहायता प्राप्त हो रही है तो वनोपज संघ द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता में उसे प्राप्त हो रही राशि की सीमा तक कमी की जा सकती है।
6. योजना के अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थितिवश किसी चयनित छात्र-छात्रा का प्रदर्शन उससे नीचे जाता है तो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा उसके कारणों पर विचार करने के उपरांत उसे अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा।
7. उपरोक्त पैरा 6 के अध्यधीन रहते हुये इस योजना के अंतर्गत सहायता नवीं कक्षा या उसके बाद की कक्षाओं में अध्ययन हेतु तब तक दी जायेगी जब तक कि संबंधित छात्र-छात्रा का प्रदर्शन निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर का रहता है।
8. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष संघ के संचालक मण्डल द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिये बजट की राशि निर्धारित की जायेगी। इस स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में चयनित छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
9. इस योजना के अंतर्गत किसी वर्ष के लिये उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि कक्षा नवीं से बारहवीं तक की कक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए व्यय हेतु उपलब्ध हो सकेगी।
10. इस योजना के अंतर्गत प्रवीणता के आधार पर छात्र-छात्राओं के चयन हेतु सूची राज्य स्तर पर लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार की जायेगी।

आई. एल. जाटव
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग (शाखा-10)
मंत्रालय, भोपाल

परि.06 - 02

अ. क्र.	जिला यूनियन	दिनांक	विवरण
1	भोपाल	11.03.2019	शाखकर्तन मीटिंग समर्धा परिक्षेत्र
		12.03.2019	शाखकर्तन मीटिंग बैरसिया परिक्षेत्र
		10.04.2019	शाखकर्तन मीटिंग निरीक्षण के दौरान फड़ पर आये ग्रामीणों को जानकारी दी गई।
		26.04.2019	तें.प. फड़ मुंशियों के प्रशिक्षण परिक्षेत्र बैरसिया
2	रायसेन	12.03.2019	शाखकर्तन बैठक के दौरान
		15.04.2019	तेंदूपत्ता कार्यशाला के दौरान
		08.05.2019	आयोजित कार्यशाला में समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
3	औं गंज. (औबेदुल्लागंज)	15.02.2019	समितियों के माध्यम से गांव गांव जाकर डोंड़ी पिटवाकर
		26.02.2019	तेंदूपत्ता कार्यशाला के दौरान
		12.03.2019	शाखकर्तन के दौरान
		10.5.2019	संग्राहकों समितियों के अक्ष्यक्षों / प्रबंधकों को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
4	विदिशा	15.03.2019	शाखकर्तन मीटिंग के दौरान
		26.03.2019	शाखकर्तन मीटिंग ईको सेंटर समिति संचालक सदस्यों को जानकारी दी गई
		8 / 9.04.2019	शाखकर्तन नीक्षण के दौरान फड़ों पर
		24.04.2019	संग्रहण कार्य समीक्ष मीटिंग तेंदूपत्ता फड़मुंशियों के प्रशिक्षण के दौरान
5	सीहोर	11.03.2019	शाखकर्तन मीटिंग के दौरान
		16.04.2019	पम्पप्लेट छपवाकर प्रचार– प्रसार
		07.05.2019	तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान प्रत्येक फड़ पर
		03.05.2019	तेंदूपत्ता फड़मुंशियों के प्रशिक्षण के दौरान
6	राजगढ	14.03.2019	आम सभा द्वारा
		01.03.2019	डोंड़ी पिटकर
		12.03.2019	शाखकर्तन के दौरान
		20.02.2019	संग्रहण के दौरान

आई. एल. जाटव
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग (शाखा–2)
मंत्रालय, भोपाल

(भागवत सिंह)
(भा.व.से.)
अपर प्रबंध संचालक (विकास)

D/VQ 776